घटिया निर्माण : मौके पर नहीं पहुंची जांच टीम

खबर प्रकाशन के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार : 65 लाख रुपए लागत से बन रहे उपस्वास्थ्य केंद्र का हो रहा घटिया कार्य

गणेशगंज नवभारत। लखनादौन जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सहजपुरी में 65 लाख रुपए लागत से बन रहे उपस्वास्थ्य केंद्र का हो रहा घटिया और लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य जिस पर ग्रामवासियों सहित ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने भी व्यक्त की चिंता। उक्त निर्माणाधीन कार्य पर स्थानीय प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडिया में प्रमुख्ता से खबर प्रकाशित करने के बावजूद भी अबतक किसी भी जिम्मेदारों ने हो रहे घटिया निर्माण कार्य पर संज्ञान नहीं लिया।

सूत्र बताते हैं ठेकेदार द्वारा किए जा रहे घटिया व गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायत उपयंत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य जगह भी की गई है। परंतु मोटी कमीशन के चक्कर में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की चुप्पी यह स्पष्ट कर रही है कि उन्हें गुणवत्ताहीन निर्माण, जबरदस्ती में कार्य तथा लग रही घटिया सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि परसेंटेज में मिली मोटी कमीशन ही उनके लिए काफ़ी है। वही अब ग्रामवासियों की माने तो उनका कहना है यदि उपरोक्त कार्य को समय रहते रोका नहीं किया गया तो वह शीघ्र विरोध प्रदर्शन करने विवश होंगे जिसमें घटने वाली कोई भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

पंचायत से बिना एनओसी प्राप्त किए हो रहा कार्य

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत 65 लाख रुपए लागत से बन रहे उपस्वास्थ्य केंद्र जिस स्थान पर बनाया जा रहा है उस स्थान की पंचायत से परमिशन (एनओसी) तक नहीं ली गई और कार्य धड़ल्ले से जारी है। ऐसे नियम विरुद्ध तरीके से आख़रि ठेकेदार किसके संरक्षण में कार्य कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी उक्त गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जांच की जाती है या मोटी कमीशन के दवाब में जिम्मेदार मौन रहेंगे।

इनका कहना है

उपरोक्त संबंध में हमारे द्वारा शिकायत किए जाने के उपरांत क्या कुछ कार्यवाही की गई जिसे पुन: जानने के लिए जब हमने 22/12/25 अपराह्न 6-40 बजे कॉल किया तब इनका मोबाईल स्विच ऑफ पाया गया।

रोहित सनोडिया उपयंत्री
स्वास्थ्य विभाग सिवनी

सिवनी को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग

मंत्री विश्वास सारंग का जगह-जगह हुआ स्वागत

सिवनी नवभारत। शिव की नगरी सिवनी के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. जिले में पहली बार प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन आज से 24 दिसंबर तक मिशन स्कूल ग्राउंड, सिवनी में किया जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाली इस रोमांचक प्रतियोगिता में प्रदेश के जिलों से चयनित यूथ एवं सीनियर वर्ग के महिला और पुरुष बॉक्सर अपनी ताकत, तकनीक और जज्बे का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मप्र शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के कर-कमलों से . मंत्री श्री सारंग भोपाल से सिवनी पहुंचे। सिवनी पहुंचने के बाद उनका जगह-जगह स्वागत किया गया जिसमें महावीर मडिया में राजेश त्रिवेदी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया इस स्वागत में भाजपा की कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद थी आतिशबाजी फटकों के साथ मंत्री विश्वास सारंग से राजेश त्रिवेदी द्वारा परिचय करवाया। पूर्व ही उनके द्वारा सिवनी में बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर का बॉक्सिंग रिंग सिवनी में हो और महावीर व्यायाम शाला, सिवनी को सौगात के रूप में आज देखने को मिला।

राजेश त्रिवेदी ने पदभार संभालते ही दिलाई सौगात

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला बॉक्सिंग संघ अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के पदभार संभालने के मात्र एक माह के भीतर ही प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का सिवनी में आयोजन करना जिले के लिए उनकी सक्रियता को दिखाता है और लगन प्रयासों से आज नगर में यह प्रतियोगिता शुरू हो रही है। सिवनी में मिनी स्टेडियम की मांग को लेकर राजेश त्रिवेदी लंबे समय से प्रयासरत हैं. इसी क्रम में नगर पालिका को चंदन सिंह खाताबिया पार्षद किदवई वार्ड के द्वारा लगातार मिनी स्टेडियम की मांग की जा रही थी। जो दिनेश राय के प्रयासों से नगर में मिनी स्टेडियम दिखाई देगा। राजेश त्रिवेदी के कार्यकाल में जब नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे तभी कार्यकाल के समय ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले भी सिवनी आए थे जो जिले के लिए बड़ी गौरव की बात थी।

नागरिकों ने घंसौर बंद रख सौंपा ज्ञापन

सिविल अस्पताल की मांग को लेकर घंसौर रहा बंद, मिला समर्थन

घंसौर नवभारत/ तहसील मुख्यालय घंसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने की मांग को लेकर सोमवार 22 दिसंबर को लोगों ने एकजुट होकर घंसौर बंद को सफल बनाया। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन के वाहन आंदोलन में पूरी तरह नजर बनाए हुए थे, बंद के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग कमानिया गेट पहुंचे जहां एकत्रित होकर लोगों ने अपनी मांगों को जोर-शोर से उठाया, सिविल अस्पताल की मांग को लेकर आंदोलन घंसौर बंद तक सीमित नहीं रह जायेगा बल्कि आने वाले समय में इस मांग को अधिक जोर-शोर से उठाया जायेगा, मौके पर उपस्थित जनसमुदाय द्वारा राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर को सिविल अस्पताल में परिवर्तन किया जाये, स्थानीय अस्पताल में 100 बिस्तर की व्यवस्था की गई थी परन्तु आज तक 100 बिस्तर लायक व्यवस्था नही हुई एवं उसे बदलकर 30 बिस्तर कर दिया गया, वर्तमान में अस्पताल की दुर्दशा है न बेड है न दवाई न कोई योग्य डॉक्टर केवल आयुष डॉक्टरों के भरोसे मरीजों को छोड़ दिया गया है, वर्तमान में बी.एम.ओ. के रूप में कार्यरत भारती सोनकेसरिया जिनकी कार्यप्रणाली से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है इन्हें तत्काल स्थानांतरित किया जावे एवं अविलंब 7 दिवस के भीतर किसी नए चिकित्सा अधिकारी को भेजा जावे, आकस्मिक चिकित्सा हेतु बाहर जाने के लिये आपातकालीन वाहन सेवा ऐम्बुलेंश की व्यवस्था सुदृण की जावे एवं वाहनों की संख्या बढ़ाई जावे क्योंकि घंसौर क्षेत्र में 263 गांव समाहित है तथा 1 लाख 63 हजार की आबादी से स्वास्थ्य सुविधाओं की अव्यवस्था से प्रभावित है,। विगत दस बीस वर्षों से जमें कर्मचारियों को तत्काल स्थानान्तरित कर नये कर्मचारियों की व्यवस्था शीघ्र हो एवं ऑक्सीजन प्लांट एक्सरा मशीन एवं अन्य जो भी आवश्यक सुविधायें है तत्काल व्यवस्था की जावे, बताया गया है कि क्षेत्र बदहाल व्यवस्था से पीड़ित है शीघ्र ही मांगें पूरी नही हुई तो समस्त क्षेत्रवासी अगले चरणों में विविध आन्दोलन के लिये बाध्य होंगें जैसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन एवं चक्का जाम आदि अनेक आन्दोलन होगें।

गोंड समाज महासभा सर्किल कमेटी उगली का हुआ पुनर्गठन

अध्यक्ष संग्राम सिंह भलावी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष काशी राम अड़माचे बने

उगली नवभारत। 21 दिसम्बर को गोंड समाज महासभा सर्किल कमेटी उगली, तहसील केवलारी, जिला सिवनी की बैठक ग्राम सरेखाकलां में संग्राम सिंह भलावी के निज निवास में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ प्रकृति शक्ति फड़ापेन गोंगो के साथ गोंड समाज महासभा प्रदेश अध्यक्ष बी एस परतेती की अध्यक्षता में एवं केवलारी ब्लॉक कार्य अध्यक्ष महेंद्र सिंह परते,उगली सर्किल कमेटी के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद परते, कार्य अध्यक्ष रविंद्र उइके, सेक्टर कमेटी उगली के अध्यक्ष सहत लाल सरुते, सरेखाकलां सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष चेतन सिंह परते, पांडिया छपारा सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष शाह सिंह उइके, कार्य अध्यक्ष गुलाब सिंह मर्सकोले सहित सर्किल, सेक्टर, ग्राम कमेटी के पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति में प्रस्तावित विषयों पर विस्तार से परिचर्चा के साथ की गई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सर्वप्रथम सर्किल कमेटी उगली की आय व्यय की जानकारी उपस्थित सगा समाज को दी गई, जिसमें कुछ जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पुन: आगामी बैठक में पूर्ण व विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया। सर्किल कमेटी उगली अंतर्गत समस्त सेक्टर कमेटी की समीक्षा कर संशोधन व विस्तार किया जाएगा। सर्वसम्मति से सर्किल कमेटी उगली का पुनर्गठन किया गया जिसमें संरक्षक सर्व जगदीश प्रसाद परते (मेंहगाटोला), ठाकुर जयपाल सिंह उइके (पांडीवाड़ा), करतार सिंह उइके (नसीपुर) , अध्यक्ष संग्राम सिंह भलावी (सरेखाकलां), कार्यवाहक अध्यक्ष काशी राम अड़माचे (बाकल), उपाध्यक्ष सुरेश मर्सकोले (रचना टोला), रविंद्र उइके (पिपरिया), श्याम सिंह वट्टी (पीपरदौन) ,सचिव देवेन्द्र उइके (कातोली), सह सचिव मनोज कुमार मर्सकोले (सरेखाकलां), कोषाध्यक्ष नीरज उइके (गोरखपुर), कार्यकारिणी सदस्य- हरिप्रसाद भलावी (पौड़ी), दलपत सिंह मरावी (बावली), दुर्गा प्रसाद पंद्रे (बीयरटोला, दामीझोला), महारु सिंह उइके (पांडीवाड़ा) वालियंटर रुप लाल तेकाम (बाकल) को नियुक्त किया गया।

कार्यपालन यंत्री की लापरवाही के खिलाफ कर्मचारियों ने दिया धरना

वेतनमान, महंगाई भत्ता,यात्रा देयक, पेट्रोलिंग भत्ता का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी परेशान

केवलारी नवभारत। तिलवारा बाई तट नहर संभाग जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रेमनारायण नाग के द्वारा विभागीय कार्यों में की जा रही लापरवाहियों के खिलाफ जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने केवलारी स्थित विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को समय मान वेतनमान, महंगाई भत्ते की राशि, यात्रा देयक, पेट्रोलिंग भत्ता का भुगतान, एवं अन्य स्वायतों का भुगतान नहीं हो पाने के कारण कर्मचारी बहुत परेशान है। प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रेमनारायण नाग की लापरवाही के चलते कई कर्मचारी अपना इलाज न करा पाने के कारण मौत के आगोश में चले गए तथा कार्यालयीन ज्ञान न होने से आवास आवंटन, वेतन निर्धारण में अनेक गलतियां इनके द्वारा की गई है जिसके कारण सभी कर्मचारियों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है।

वहीं केवलारी मुख्यालय में न रहने के कारण कर्मचारी अत्यधिक परेशान है। इतना ही नहीं जब से प्रेम नारायण नाग ने चार्ज लिया है कार्यालय में शराब खोरी, गांजा, चरस,जैसे मादक पदार्थो का सेवन कुछ कर्मचारियों द्वारा खुलेआम किया जाने लगा । जिसपर शिकायत के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कर्मचारियों के आंदोलन से सिंचाई हुई बाधित

किसानों को पहले से ही पल्लेवा के लिए पानी नहीं मिल पा रहा किसान आंदोलन एवं प्रदर्शन जगह-जगह कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कर्मचारियो के इस आंदोलन से सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है यदि समय रहते मुख्य अभियंता महोदय सिवनी द्वारा जल संसाधन मंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करा कर नाग को हटाने की कार्यवाही नहीं की तो स्थिति अत्याधिक खराब होने की आशंका है।

कर्मचारियों को किया जा रहा बेवजह परेशान

30 जून 2025 से प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रेमनारायण नाग के कार्यभार लेते ही 30-35 वर्षों की सेवा कर चुके कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं से नियुक्ति पत्र,जाति प्रमाण पत्र, जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज गुमाये जा रहे हैं और कर्मचारियों से रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं जबकि कर्मचारी नियुक्ति के समय सारे रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी ने लिए होंगे तभी उन्हें नियुक्ति मिली होगी? परंतु नाग द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों को रिकॉर्ड ना होने कहकर भटकाया जा रहा है और अनावश्यक उनके स्वायतो का भुगतान रोका जा रहा है और उनसे रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं जबकि उनके सारे रिकॉर्ड कार्यालय में रखी सेवा पुस्तिका में उपलब्ध हैं और उनकी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की है।

59 कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में लगाई गुहार

पी0एन नाग मूल रूप से सहायक यंत्री हैं इन्हें कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है पूर्व में भी सिवनी का प्रभार इन्हें दिया गया था तब भी इनको कार्यपालन यंत्री के पद का ज्ञान न होने के कारण इन्हें तत्काल हटा दिया गया था और एक वेतन वृद्धि रोकी गई थी परंतु इन्हें राजनीतिक दबाव के चलते तिलवारा बाई तट नहर संभाग कार्यालय का पुन: प्रभार दिया गया जो की पूर्णता गलत है क्योंकि इस कार्यालय के अंतर्गत एक वृहद परियोजना है जिसमें नियमित, कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कुल 184 कर्मचारी हैं। पी0एन0नाग कार्यपालन यंत्री की लापरवाही के कारण उनके अधीनस्थ कुल 59 कर्मचारियों ने अपने वेतन तथा अन्य स्वायतों के भुगतान न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने याचिका प्रस्तुत कर गुहार लगाई है जिनमें से 12 ने नाग के खिलाफ व्यक्तिगत अवमानना याचिका प्रस्तुत की है तिलवारा बाई तट नहर संभाग केवलारी कार्यालय का आंकड़ा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे इसी कार्यालय के कर्मचारियों के है। जिससे जहां एक और शासन को आर्थिक क्षति हो रही है वहीं शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा है कर्मचारियों की परेशानी निरंतर बढ़ रही है इससे स्पष्ट है कि प्रभारी कार्यपालन यंत्री नाग को कार्य संचालन का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर भूङ्कसिंचन कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर महेश सोनी, संतोष मार्को, मुन्ना लाल ठाकुर, राजेश मिश्रा, सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों ने एक स्वर से अपनी समस्या निदान करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रेम नारायण नाग को तत्काल हटाए जाने पर ही विभाग की खामियों में सुधार की संभावना बताई है।

आयोजन | दिव्यांगता कमजोरी नहीं बल्कि विशेष क्षमता है : एसपी

दिव्यांग प्रतिभा सम्मान एवं टैलेंट शो आयोजित

सिवनी नवभारत। संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में 20 दिसंबद को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,सिवनी मनोज लारोकर के मार्गदर्शन एवं प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सुश्री ईशा बाल्मिक के निर्देशन में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान एवं टैलेंट शो आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता द्वारा दीपप्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम मेंआशादीप विद्यालय, दिलखुश स्कूल एवं छात्रावास से आए बच्चों ने तबला एवं हारमोनियम वादन, गायन, नृत्य,कवितापाठ, माध्यम से अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया।नशा मुक्ति एवं मोबाइल एडिक्शन पर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मुख्य अतिथि सुनील मेहता ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांग टैलेंट शो को एक सराहनीय प्रयास बताया एवं भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार स्वरूप 10,000 रूपये की राशी प्रदान करने की घोषणा सुनील मेहता द्वारा बताया गया कि दिव्यांगता कमजोरी नहीं बल्कि विशेष क्षमता है। भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मनोज लारोकर द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनो के आत्मविश्वास को बढ़ाना एवं उनकी क्षमताओं को समाज के सामने लाना है। विशिष्ट अतिथि के रूप मे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन हेतू प्रेरक वक्ता के रूप में संगीत शिक्षक श्री विकास चंद्रवंशी एवं रेलवे विभाग नैनपुर हरिओम ठाकुर ने अपनी जीवनयात्रा साझा की। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन से समाज में अलग पहचान बनाई। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मंच संचालन बाल संरक्षण अधिकारी श्री विकास दुबे एवं आभार प्रदर्शन प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सुश्री ईशा बाल्मिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य,सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के पदाधिकार ,गैर सरकारी संगठन से बहुउद्देशीय शहरी एवं ग्रामीण विकास संस्थान, मातृ शक्ति संगठन, गूंज संस्था के प्रमुख, विद्यालय शिक्षकगण बालक बालिकाओं सहित लगभग 120 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में वन स्टॉप सेंटर सेंटर एडमिन नारायणी सक्सेना, सोनल सक्सेना एवं वर्षा बैस,परामर्शदाता संध्या सनोडिया ऑफिस असिस्टेंट आकांक्षा सोनी,अंबर वर्मा, चंद्रकांता भलावी सहित सभी स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालयः एमआईजी–15, राजेश्वर बिल्डिंग, शिव नगर, दमोह रोड, जबलपुर– 482002
Email: jabalpur.ard@bankofindia.co.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय सूचना

ई- नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई– नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई– नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और जमानतदार को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का प्रतीकात्मक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदार से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु दिनांक 28.01.2025 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 28/01/2026 को प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगी।

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (6)	ईएमडी (7)
शाखा : लखनादौन	शाखा : लखनादौन खाता कमांक : 957175110000006 (मृतक ऋणकर्ता) लालजी उईके की ओर से कानूनी उत्तराधिकारी 1. श्रीमति प्रेमवती उईके 2. श्रीमति कमला उईके 3. कु. मानसी उईके 4. मा. मयंक उईके 5. कु. मिताली उईके जमानतदार : श्री राजाराम गोल्हानी	श्री लालजी उईके के नाम पर संपत्ति भूमि व भवन स्थित खसरा नं. 235/124, निवारीटोला,चीलघर मोहल्ला,मौजा लखनादौन,पी.सी. नं.39, वार्ड नं.2, आजाद वार्ड, लखनादौन, तह.लखनादौन, जिला सिवनी, क्षेत्रफल 2100 वर्गफुट चर्तुसीमा : पूर्व में कॉलोनी रोड, उत्तर में कॉलोनी रोड, पश्चिम में श्री राजेश उईके की जमीन दक्षिण में श्रीमति फूलमती एवं कु. अनीता का प्लॉट	16.06.2025 ₹ 9,89,269.78 + ब्याज एवं अन्य खर्च	27.08.2025 सांकेतिक	₹ 20.85 Lacs	₹ 2.08 Lacs

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार का विवरण : ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें– 1. नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट **https:baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2. यदि आवश्यक हुआ तो 10–10 मिनट का असीमित विस्तार किया जाएगा। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर शुरू होगी और बोलीदाताओं को उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए 10,000 रूपये गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। बिक्री आरक्षित मूल्य पर या उससे कम पर नहीं होगी।
3. बिक्री प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्हें नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति(यों) से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में अपनी जांच करनी होगी। संपत्तियां सभी मौजूदा और भविष्य की देनदारियों के साथ बेची जा रही हैं, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
6. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली या किसी भी बोली या किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने और बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने और माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई– नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https:baanknet.com, www.bankofindia.co.in** देखें, या संपर्क करें: श्री राजेश मौर्य, मुख्य प्रबंधक ए.आर.डी., जबलपुर झोन (मोबा. नं. 7376391515)
8. यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए 15/30 दिनों का नोटिस भी है।
9. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रू. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB ऑनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16 B में जारी करना होगा। खरीददार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक : 23.12.2025, स्थान : सिवनी **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**